भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 622**

जिसका उत्तर दिनांक 01.12.2021 को दिया जाना है

## उपभोग हुआ परमाणु ईंधन

622. श्री टी. आर. बालू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किया परमाणु ईंधन रूस को वापस नहीं भेजा जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या यह भी सच है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर के भीतर ही उपयोग किए गए ईंधन के लिए भंडारण सुविधा का निर्माण कर रहा है जो क्षेत्र के लोगों और पर्यावरण के लिए अत्यधिक खतरा पैदा करेगा; और

(ग) विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग किए गए ईंधन का सुरक्षित रूप से भंडारण करने हेतु दूर-दराज के निर्जन स्थान में एक गहरा भूगर्भीय भंडार स्थापित करने के लिए क्षेत्र के लोगों और पर्यावरण एजेंसियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर भारत सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है जिससे लोगों और पर्यावरण को खतरा न हो ?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) और (ग) जी, हां । भारत रूस अन्तर-शासकीय करार 2010, भारत की संवृत ईंधन चक्र नीति के अनुसार केकेएनपीपी के भुक्तशेष नाभिकीय ईंधन के भंडारण एवं पुनर्संसाधन की सुविधा देता है । भारत ने "संवृत ईंधन चक्र" अपनाया है जहां भुक्तशेष नाभिकीय ईंधन को संसाधन की सामग्री माना गया है | पुनर्संसाधन के बाद उच्च स्तरीय अपशिष्ट के बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित होने और अपशिष्ट के पृथक्करण, विभाजन और जलाने की प्रौद्योगिकियां देश द्वारा विकसित किए जाने के कारण, निकट भविष्य में गहराई में भूमिगत भौगोलिक निपटान सुविधा की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) नाभिकीय विद्युत संयंत्र में भुक्तशेष (प्रयुक्त) ईंधन के भंडारण की योजना द्वि-स्तरीय है । भुक्तशेष ईंधन के भंडारण का पहला स्थान रिएक्टर बिल्डिंग/सर्विस बिल्डिंग के अंदर स्थित है जिसे सामान्यतः भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल/बे के नाम से जाना जाता है और दूसरे को संयंत्र परिसर के अंदर 'रिएक्टर से दूर' (एएफआर) भुक्तशेष ईंधन भंडारण सुविधा कहा जाता है । ये सुविधाएं भूकंप, सुनामी जैसी बड़ी प्राकृतिक घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से अभिकल्पित की गई हैं जिसमें सुरक्षा और विश्वसनीय निष्पादन के लिए बृहत् प्रचालनरत सुरक्षा मार्जिन के प्रावधान हैं । इन्हें इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है कि सुनिश्चित हो सके कि संयंत्र कार्मिक, सामान्य जनता या पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े । तारापुर, महाराष्ट्र और रावतभाटा, राजस्थान जैसे अन्य स्थलों पर पहले ही एएफआर का निर्माण किया गया है और ये प्रचालनरत हैं ।

* * * * *